



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर कार्यालय आदेश

क्रमांक :- संस्था./2026/126

दिनांक :- 19-5-2026

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन 10800/2014 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2016 एवं राजस्थान सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कार्मिक-क-ग्रुप-2) जयपुर के पत्रांक एफ3/5/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 26.11.1988 एवं राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 3(2)शिक्षा-6/2013 दिनांक 01.10.2014 के क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम-1972 (यथा संशोधित) अध्याय-1 विनियम-8 एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम-2004 के भाग-VI(35) के अन्तर्गत कार्यालय आदेश क्रमांक संस्था/2026/89 दिनांक 27.04.2026 द्वारा निजी सचिव पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2026 की स्थितिनुसार जारी कर 07 दिवस की अवधि में वरिष्ठता के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि में किसी भी कार्मिक की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर **निजी सचिव पद की दिनांक 01.04.2026 की स्थितिनुसार स्थाई वरिष्ठता सूची** निम्नानुसार जारी की जाती है :-

क्र.सं.	कर्म.सं.	नाम	वर्ग	योग्यता	जन्म तिथि	पदोन्नति दिनांक
01.	808	श्री अनिल बिसावा	UR	बी.कॉम	09.01.1968	01.04.2023


नोट:-

1. श्री अनिल बिसावा का वर्तमान धारित पद माननीय उच्च न्यायालय में दायर डी.बी. स्पेशल अपील 153/16, 974/16 एवं 975/16 में पारित अंतरिम आदेश के अध्वधीन है।
2. उक्त वरिष्ठता सूची, मा. उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट संख्या 7079/2017 के निर्णय पर प्रशासनिक स्तर पर लिये जाने वाले निर्णय के अध्वधीन रहेगी।
3. कार्मिक की वरिष्ठता माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों एवं राज्य सरकार से चाहे गये परीक्षण/मार्गदर्शन के निर्णयाधीन/अध्वधीन होगी।


सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. सम्बन्धित अधिकारी/सम्बन्धित कार्मिक
02. निजी पंजिका/संबंधित पंजिका।
03. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर आई.टी एण्ड सी. शाखा
(कार्यालय की वेबसाईट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु)।
04. लेखा शाखा (कम्प्यूटर कक्ष)।


निदेशक (प्रशासन)